ग्रामीण महिला विकास संस्थान

GMVS

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

प्रगति की ओर बढ़ते कदम

अध्यक्षीय सम्बोधन

शासन में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो, पारदर्शिता हो और शासक शासितों के प्रति उत्तरदायी बने तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो सच्चे अर्थ में प्रजातंत्र का सृजन होगा। विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शासन पर निगरानी रखना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साक्षरता में वृद्धि, बाल मृत्यु-दर में कमी, मातृत्व मृत्यु-दर में कमी, गरीबी में कमी तथा बेकारी का निवारण अनिवार्य है। इसमें गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका भी विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है, अत: विकास के लक्ष्य पूरे करना गैर सरकारी संगठनों के लिए जितना महत्वपूर्ण हो उतना ही महत्वपूर्ण यह देखना है कि शासन की व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख बने।

संस्थान द्वारा राजस्थान के अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले के 700 ग्रामों में समग्र विकास के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं उन्हें यह वार्षिक प्रतिवेदन दर्शाता है।

संस्थान के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत व लगन के कारण ही संस्था प्रभावी कार्य कर सकी।

मैं संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

(अनिल कुमार माथुर)
अध्यक्ष

सचिव की कलम से ....

समाज सेवा के क्षेत्र में ग़ैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। देश के विकास की कल्पना गाँवों के विकास से ही साकर होना सम्भव है। गाँवों की बहुआयामी समस्याओं के निराकरण व विकास के लिए ग़ैर सरकारी संगठनों का प्रमुख कार्यक्षेत्र गाँव ही हो सकते हैं। आज विकासशील क्षेत्र चुनौतियों भरा बनता जा रहा है। बढ़ती हुई अराजकता, भ्रष्टाचार देश के विकास में बहुत बाधक है। सरकार विकास करने का कितना ही दावा करे, परन्तु वास्तविकता इससे बहुत दूर है। गाँवों में विकास का नामो-निशान नहीं है। लोगों में ग़रीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं, बेरोज़गारी आदि बढ़ती जा रही है।

इस क्रम में हमारी संस्था अपने सतत प्रयासों से अजमेर व चित्तौड़गढ़ ज़िले के 700 ग्रामों में कार्य कर रही है। विभिन्न परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। जो इस वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

संस्थान को देश की सरकारी एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं का आर्थिक, वैयक्तिक सहयोग एवं मार्ग-दर्शन मिला, इसके लिए संस्था उनकी आभारी है।

मैं इस गतिशील संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

(शंकर सिंह रावत)
सचिव

ग्रामीण महिला विकास संस्थान - बूबानी, अजमेर (राज.)

Gramin Mahila Vikas Sansthan (GMVS)-Bubani, Ajmer (Raj.)

वार्षिक प्रतिवेदन : वर्ष 2013-2014

पृष्ठभूमि (Background)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान मानव समाज विषयक उद्देश्य विशेष के लिए गठित स्वैच्छिक संगठन है जो वृहद् स्तर पर ग्रामीण समुदाय के साथ उपके सामाजिक सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए कार्य कर रही है। संस्था विविध और व्यापक स्तर पर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे आदि पर 1997 से कार्यक्रम संचालित कर रही है। वर्तमान में संस्थान राजस्थान के अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले के 700 गाँवों में कार्यरत है।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान राजस्थान संस्था पंजीयन सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए व 80-जी के तहत तथा एफ.सी.आर.ए. एक्ट 1976 के अधीन पंजीकृत है।

विज़न (Vision)

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल, रोज़गार के विकल्प उपलब्ध कराना।

मिशन (Mission)

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा हेतु विद्यालयों का निर्माण, टीकाकरण व स्वास्थ्य जानकारी द्वारा बेहतर स्वास्थ्य, पौधारोपण के प्रति जागरूकता व देखभाल व पर्यवरण संरक्षण।

संस्था के उद्देश्य (Objectives)

- समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पीने के पानी व्यवस्था करने में ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं विशेष तौर से महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना।
- महिला विकास व सशक्तिकरण में ग्रामीण महिलाओं की रूचि पैदा करना तथा महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- किसानों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी देना एवं कृषि के लिए प्रेरित।
- ग्रामीण लोगों को बीमा से जुड़ाव करके जोखिम करना।
- बालश्रम रोकथाम के लिए लोगो को जागरूक करना।

- ग्रामीणों को पशुपालन करने के लिए प्रेरित करना।
- बेहतर शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर पैदा करने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार ऋण प्राप्त करवाना।
- संस्था के उद्देश्य एवं कार्यकलापों को प्रचारित करना किताबों का मुद्रण एवं प्रकाशन तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।

ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा गरीबी की समाप्ति

Addressing for Poverty among Rural Women through Technical Vocational Training (Stitching Training Centre)

पृष्ठभूमि

द् हंस फाउण्डेशन नई-दिल्ली के वित्तीय सहयोग से और ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर के द्वारा महिलाओं को आयवर्धन गतिविधियों के साथ जुड़ाव करने के लिए अजमेर जिले की श्रीनगर, सिलोरा व भिनाय पंचायत समिति के दस गांवों से 100 महिलाओं को छः माह निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण उन महिलाओं को दिया है जिनके पास पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं है और घर से बाहर मजदूरी करने भी नही जा सकती है। द हंस फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से संचालित इस परियोजना से महिलाओं का जुड़ाव महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें सिलाई सिखाने की लगन तथा मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान कपड़ा, धागा व सिलाई सम्बन्धित कच्चा माल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया है।

संस्थान पिछले वर्ष भी 50 महिलाओं को द हंस फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से छः माह नि:शुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन कर चुकी है। इसलिए इस बार संस्थान 100 महिलाओं को यह प्रशिक्षण देकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ना।
- सिलाई प्रशिक्षण में महिलाएं दक्ष हो सकें।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हो सके।
- प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक स्तर में बदलाव करना।

- लोगों को पारम्परिक कौशल, शिल्प, खेती की खोज के लिए प्रेरित करने के लिए प्रदर्शन करना जो कि आजीविका वर्धन का स्रोत है।
- क्षमतावर्धन और आयवर्धन के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण करवाना।
- महिला स्वयं कौशल प्राप्त करके अपने परिवार का पालन पौषण करने लगी।
- आय सृजन गतिविधियों को ग्रामीण समुदाय में सामान्य बनाना ताकि गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

रणनीति

- जागरूक व रूचिकर महिलाओं का प्रशिक्षण के लिए चयन करना।
- गांव स्तर पर सेन्टर का संचालन करना।
- महिलाओं की सुविधा अनुसार समय व स्थान तय करना।
- समय-समय पर परियोजना अधिकारी व संस्था सचिव का निरीक्षण करना।
- आवश्यक दिशा-निर्देश देना।
- महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।

उपलब्धियाँ

- महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के स्रोत की प्राप्ति।
- आधुनिक प्रणाली से सिलाई सिखना।
- आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी।
- गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी।
- महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार।
- महिलाओं का संगठन तैयार हुआ।

द हंस फाउण्डेशन नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से छः माह के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण परियोजना का संचालन किया गया है जिसमें प्रत्येक सिलाई केन्द्र में 10 सिलाई मशीने उपलब्ध करवाई गई तथा महिलाओं को विभिन्न तरह की डिजाइनों के कपड़े सिलना सिखाया गया। छः माह के दौरान सिलाई प्रशिक्षण में काम आने वाली समस्त सामग्री जैसे कपड़ा, धागा इत्यादि संस्थान ने उपलब्ध करवाया था। प्रशिक्षित ट्रेनर के द्वारा महिलाओं को सिलाई कार्य सिखाया तथा साथ में एक माह में एक बार दूसरे सिलाई केन्द्रों का भ्रमण भी करवाते ताकि अपनी कमियों को दूर किया जा सके और अच्छा करने की प्रेरणा ले सके।

छः माह बाद सिलाई प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात उनको निःशुल्क सिलाई मशीनों के साथ-साथ प्रमाण-पत्र भी वितरण किये गये। वर्तमान में संस्थान उनको बाजार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। साथ ही महिलाओं के साथ समय-समय पर चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान संस्थान करती रहती है।

दांता गाँव में जल प्रबन्धन परियोजना
Water Coservation Planing Programme in Danta Village

पृष्ठभूमि

द् हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से और ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर द्वारा अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति के गेगल ग्राम पंचायत के दांता गांव में जल प्रबन्धन परियोजना अक्टूबर 2012 से शुरू की थी। इस परियोजना में एक वर्ष तक वित्तीय सहयोग द हंस फाउण्डेशन का रहा है उसके पश्चात संस्थान और समस्त गांववासियों के सहयोग से परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उस ग्राम में पीने के पानी की भयंकर समस्या थी। यहां के लोगों को पीने का पानी 3-4 किलोमीटर दूर से लेकर आना पड़ता था और उसके लिए परिवार में एक सदस्य की मजदूरी भी खराब होती थी या फिर टेंकर 500-600 रुपये की कीमत से डलवाते थे। यहां पर संस्थान ने महिला स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब, संयुक्त देयता समूह (JLG) का गठन करके संचालन किया जा रहा है। इन संगठनों के सदस्यों के द्वारा आज इस परियोजना का संचालन करने की ज़िम्मेदारी ले रखी है।

उद्देश्य

- गांव में ही पानी उपलब्ध हो और आसानी से मिले।
- पानी पर होने वाले खर्च को बचाया जा सके।
- महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी से छुटकारा दिलाना।
- ग्रामवासियों को स्वच्छ पानी मिले और स्वच्छता पर ध्यान देना।
- पशुपालन कार्य को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक स्तर पर प्रबन्धन करना।
- गठित कमेठी की बैठकों में गांव की दूसरी समस्याओं पर भी चर्चा करना व समाधान करना।

गतिविधियां

- समय पर बोरवेल का संचालन व प्रबन्धन।
- पानी की टंकी की सफाई व देखरेख।
- कमेटी द्वारा देखरेख की जिम्मेदारी लेना।
- ग्रामवासियों द्वारा पानी का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना।
- ग्राम में जगह-जगह नलों के पास साफ-सफाई इत्यादि रखना।

रणनीति

संस्थान द्वारा ग्राम दाँता में जल प्रबन्धक परियोजना का संचालन करने के लिए ग्रामवासियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की गई जिसमें ग्रामवासियों ने इस जल प्रबन्धक के लिए जो कमेटी बनाई है उनमें महिला व पुरूष जोड़े गये। यह कमेटी सक्रिय रूप से ग्राम दांता में इस परियोजना के लिए कार्य कर रही है।

प्रभाव

द् हंस फाउण्डेशन नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से और ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर द्वारा संचालित परियोजना से दांता ग्रामवासियों को समय पर व सरलता से पीने के पानी के साथ-साथ पशुओं के लिए पीने का पानी भी ग्राम दांता मे उपलब्ध हो गया है। इसके लिए दांता ग्रामवासियों ने एक साल बाद किसी भी संस्था पर निर्भर न होकर सारा कार्य कमेटी को सौंपा है। वर्तमान में यह कमेटी सम्पूर्ण परियोजना का संचालन व देखभाल अपने स्तर पर कर रही है ताकि लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। इस परियोजना का निरन्तर संचालन जल प्रबन्धन कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

बकरी पालन आजिविका संर्वधन परियोजना
Enchance Goat Based Livilihood Activity in Ajmer

पृष्ठभूमि

द हंस फाउण्डेशन दिल्ली के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी द्वारा अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाय के ग्राम पंचायत बूबकिया व लामगरा के 5 गावों में बकरी पालन आजीविका संवर्धन परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें इन गाँव के 100 बकरी पालक परियोजना के सहभागी हैं। 50-50 बकरी पालकों के साथ दो परियोजना संचालित की गई है।

परियोजना के उद्देश्य

- बकरी मृत्यु दर मे कमी करना।
- बकरी पालन में जोखिम को कम करना।
- बकरी पालकों आय मे वृद्धि करवाना।

रणनीति

- परियोजना लाभार्थियों को बकरी उपलब्ध करवाना।
- नियमित डीवर्मिंग टीकाकरण करवाना।
- बकरी पालक समूह गठन करना।
- बकरी पालकों के साथ मासिक बैठक करना।

- बकरी पालन प्रबन्धन व्यवस्था मे सुधार करना।
- बकरी का बीमा करना।
- प्रबन्धन व्यवस्था मे नवीनीकरण करवाना।
- सन्तुलित आहर देना।
- हरा चारा उपलब्ध करवाना।

गतिविधियां

बकरी पालक बैठक- बकरी पालन हेतु लोगों को परियोजना के बारे में जानकारी बैठके आयोजित की गई जिसमें बकरी पालन हेतु परियोजना के उद्देश्यों के बारे मे विस्तार से बताया गया। परियोजना आगामी रणनीति से अवगत करवाया गया।

बकरी पालक लाभार्थियों का चयन बकरी पालने वाले उन ग़रीब लोगों का चयन किया गया जिनके पास आय का कोई साधन नहीं था तथा मज़दूरी हेतु बाहर नही जा सकते है तथा अन्य लोगों द्वारा उनके चयन हेतु सहमति जताई।

बकरी वितरण

चयनित बकरी पालकों को सिरोही नस्ल की तीन-तीन बकरीयाँ परियोजना से निशुल्क उपलब्ध करवाई गई, जिससे बकरी पालको को अपनी आजिविका चलाने हेतु एक मजबूत पहलू मिला।

डीवर्मिंग केम्प आयोजन- बकरियों में पाये जाने वाले अन्त: परजीवी से छुटकारा पाने हेतु डीवर्मिंग केम्प आयोजित किये गये जिसमें परियोजना बकरी का डीवर्मिंग किया गया।

टीकाकरण केम्प आयोजन- बकरियों में अचानक आने वाली बीमारियों के बचाव व मृत्यु दर को कम करने के लिये समयानुसार ई.टी.पी.पी. आर.एफ.एम.डी. टीकाकरण केम्प का आयोजन कर टीकाकरण किया गया।

बकरी पालकों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण- बकरी पालको का समय-समय पर क्षमतावर्धन प्रशिक्षण करवाया गया, जिससे बकरी पालन मे आने वाली समस्याओ का समाधान किया जा सके तथा अचानक होने वाले नुकसान को बचाया जा सके।

सन्तुलित आहर खिलाना- बकरियों के शारीरिक विकास व उत्पादन वृद्धि के लिये बकरियों को सन्तुलित आहर खिलाया गया जिससे बकरियों के शरीर भार में वृद्धि व दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही साथ मेमना शरीर भार में अच्छी वृद्धि हुई।

हरा चारा खिलाना– बकरियों को नियमित हरे चारे कि आवश्यकता पूर्ति हेतु परियोजना से रिजका चारा बकरियों को खिलाया गया विपरीत समय में हरा चारा उपलब्ध करवाया गया जिससे बकरियों से प्राप्त उत्पादन बकरी पालकों को नियमित रूप से मिलता रहा।

बकरी आवास शेड निर्माण– बकरियों को सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से बचाने के लिए बकरी घर बनवाये गये, जिससे अचानक होने वाली बीमारियों से बकरियों को बचाया जा सके।

उपलब्धियाँ

- सिरोही नस्ल की बकरियां उपलब्ध हुई।
- बकरी पालकों की आजीविका में सुधार हुआ।
- बकरी पालकों की आय मे वृद्धि हुई।
- बकरी पालक बकरी में डीवर्मिंग टीकाकरण समय चक्र अपनाने लगे।
- बकरियों की मृत्यु दर में कमी हुई।
- परियोजना के बारे में लोगों कि समझ विकसित हुई।
- आवास प्रबन्धन व्यवस्था के प्रति बकरी पालकों की समझ विकसित हुई।

वर्मीकम्पोस्ट के द्वारा जैविक खाद से खेती को बढ़ावा देकर महिलाओं को प्रशिक्षण व कृषि के अपशिष्ट का प्रबन्धन करना

Training of Women & Agriculture Waste Management to Vermi Composting to Encorance Organic Farmic

पृष्ठभूमि

द हंस फाउन्डेशन दिल्ली के वित्तीय सहयोग से संस्थान द्वारा भिनाय पंचायत समिति के तीन ग्राम पंचायतों के गाँवों का चयन किया गया, जहाँ का पानी तेलीय व खारा है। देशी खाद कि उपलब्धता कम होने के कारण लोग डी.ए.पी. यूरिया का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे फसल उत्पादन दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। कृषि की उत्पादन क्षमता बनाये रखने के लिए वर्मी कम्पोस्ट खाद यूनिट लगवाई गई व वर्मी कम्पोस्ट खाद उपयोग करना प्रारम्भ किया है।

उद्देश्य

- किसानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यूरिया डी.ए.पी. खाद का उपयोग बन्द करवाना।
- किसानों की आय में वृद्धि करवाना।
- कृषि भूमि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।

रणनीति

- इच्छुक महिलाओं का चयन करना।
- महिलाओं को प्रशिक्षण देना।
- उत्पादित खाद को पैंकिग कर बेचना।
- यूरिया डी.ए.पी. खाद के उपयोग से उत्पादित फसल व वर्मी कम्पोट खाद से उत्पादित फसल में तुलनात्मक अन्तर को अवगत करवाना।
- यूरिया डी.ए.पी. खाद का उपयोग करने से लगने वाली लागत व वर्मी कम्पोस्ट खाद की लागत के बारे में किसानों की जानकारी को बढ़ाना।

गतिविधियाँ

1. **प्रशिक्षण:**- वर्मी कम्पोस्ट खाद के बारे मे महिला कृषकों की समझ विकसित करने के लिए परियोजना संचालन के समय में मासिक/त्रैमासिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

2. **वर्मी कम्पोस्ट खाद यूनिट:**- महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट खाद यूनिट लगाने व लगाने से पूर्व तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई जिसमें यूनिट में खाद डालने से पूर्व रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया गया व वर्मी कम्पोस्ट खाद यूनिटों की स्थापना की गई।

3. **वर्मी कम्पोस्ट खाद शेड निर्माण कार्य:**- वर्मी कम्पोस्ट खाद यूनिट शेड निर्माण करवाने से पूर्व स्थान का चयन किया गया व यूनिट लगाई गई इसके साथ गोबर खाद से यूनिट को भरवाकर पानी पर्याप्त मात्रा में दिलवाने है। पानी की व्यवस्था करवाई गई तथा देखरेख की लाभार्थी को जिम्मेदारी दी गई।

4. **वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करना:**- वर्मी कम्पोस्ट खाद यूनिट में भरे गये खाद को पर्याप्त मात्रा में 38-40 दिन पानी देने के बाद 5 दिन तक पानी बन्द करवाया गया व बाद में खाद की छंटाई करवायी गई जिससे किसान अपनी आवश्यकता पूर्ति कर बाकी खाद को बेचना प्रारम्भ कर दिया।

5. **वर्मी कम्पोस्ट खाद पैकिंग:**- किसान अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के बाद बचे खाद को थैलियों में पैंकिंग कर लिया गया। इस पैकिंग में 1 किलो व 2 किलो खाद पैकिंग की थैलियां मुख्य रहीं। खाद को नर्सरियों व घरेलू गमलों में 15 से 16 रुपये किलो के भाव से बेचा जा रहा है

उपलब्धियाँ

- किसानों ने यूरिया डी.ए.पी. का प्रयोग करना कम किया।
- किसानों का वर्मी कम्पोस्ट खाद के प्रति रुझान बढ़ा।
- किसानों द्वारा उपयोग किये गये खाद का परिणाम देखने से उनका विश्वास मज़बूत हुआ।
- किसानों की आय व उत्पादन में वृद्धि हुई।
- फसल को यूरिया डी.ए.पी. खाद देने पर पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती थी मगर वर्मी कम्पोस्ट खाद उपयोग करने पर फसल को एक पानी कम दिया गया जिससे किसानों को डीजल खर्च प्रति बीघा 500 रुपये की बचत हुई।

बकरी पालन आधारित आजीविका संवर्द्धन परियोजना
(द गोट ट्रस्ट लखनऊ)
Goat Based Livlihood Promotion Rajasthan

पृष्ठभूमि

जमशेद जी टाटा ट्रस्ट के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी द्वारा गोट ट्रस्ट लखनऊ के तकनीकी सहयोग एवं इब्तिदा अलवर नोडल के सहयोग से अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाय के तीन ग्राम पंचायत बूबकिया, सोबडी व लामगरा के 10 गांवों मे परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामों के 600 बकरी पालक परियोजना के सहभागी हैं।

परियोजना के उद्देश्य

- बकरी मृत्यु दर मे कमी करना।
- बकरी पालन में जोखिम को कम करना।
- बकरी नस्ल सुधार हेतु बीजू बकरा उपलब्ध करवाना।
- बकरी पालकों आय मे वृद्धि करवाना।

रणनीति

- नियमित डीवर्मिंग टीकाकरण करवाना।
- बकरी पालक समूह गठन करना।
- बकरी पालकों के साथ मासिक बैठक करना।
- बकरी पालन प्रबन्धन व्यवस्था मे सुधार करना।
- समुदाय सुरक्षा योजना का संचालन करना।
- सिरोही नस्ल का बीजू बकरा उपलब्ध करवाना।
- बकरी पालक पाठशाला का संचालन करना।
- पशुसखी द्वारा ग्राम स्तर पर अपनी सेवाएं देना।

गतिविधियां

बकरी पालकों की मासिक बैठक– बकरी पालको की मासिक बैठके आयोजित की गई जिसमे बकरी पालन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा की गई व समस्याओं के कारणों को जानकर समाधान हेतु प्रयास किये गये।

बकरी पालकों का भ्रमण– बकरी पालकों को बेहतर बकरी पालन करवाने हेतु बुवाल क्षेत्र का भ्रमण करवाकर बकरी पालन के परम्परागत तरीकों मे नवीन तरीके अपनाये गये।

बकरी खरीद हेतु ऋण– बकरी पालकों को बकरी खरीदने हेतु बकरी पालक की आवश्यकतानुसार बकरी

खरीदने हेतु परियोजना से ऋण उपलब्ध करवाकर सिरोही नस्ल की बकरी दिलवाई गई।

मेमना नर्सरी- बकरी पालकों कि आय वृद्धि हेतु बकरियों के मेमनों की नर्सरी पालने हेतु परियोजना से ऋण उपलब्ध करवाया गया। नर्सरी की यूनिट में दस मेमने खरीदवाये गये जिनमें आठ मादा व दो नर रखे गये।

डीवर्मिंग केम्प आयोजन- बकरियों में पाये जाने वाले अन्त: परजीवी से छुटकारा पाने हेतु डीवर्मिंग केम्प आयोजित किये गये जिसमें परियोजना बकरी का डीवर्मिंग किया गया।

टीकाकरण केम्प आयोजन- बकरियों में अचानक आने वाली बीमारियों के बचाव व मृत्यु दर को कम करने के लिये समयानुसार ई.टी.पी.पी. आर.एफ.एम.डी. टीकाकरण केम्प का आयोजन कर टीकाकरण किया गया।

बकरी पालकों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण- बकरी पालको का समय-समय पर क्षमतावर्धन प्रशिक्षण करवाया गया जिससे बकरी पालन मे आने वाली समस्याओ का समाधान किया जा सके तथा अचानक होने वाले नुकसान को बचाया जा सके।

बकरी पालक प्रतियोगिता- बकरी पालकों का मेला आयोजित किया गया जिसमे परियोजना क्षेत्र के सभी बकरी पालकों ने भाग लिया जिसमे बकरी पालन मे बेहतर समझ रखने व बकरी मे समयानुसार टीकाकरण डीवर्मिंग करने नियमित गतिविधियों मे भाग लेने अच्छी नस्ल की बकरीयां रखने वाले बकरी पालकों को उपहार दिया गया। इस प्रतियोगिता मे पशु चिकित्सकों ने भाग लिया व बकरी पालकों ने प्रबन्ध व्यवस्था को सुचारू कर अपनी आय वृद्धि करने हेतु प्रेरित किया।

बीजू बकरा- बकरियों की नस्ल सुधार हेतु सिरोही नस्ल के बीजू बकरे परियोजना क्षेत्र मे उपलबध करवाये गये, जिससे बकरियों को क्रॉस हेतु सिरोही नस्ल का बकरा मिला व आय मे वृद्धि हुई।

ग्रामीण स्तरीय पशुसखी- प्रत्येक ग्राम में बकरियों के प्राथमिक उपचार हेतु महिला पशुसखी तैयार की गई जो घर-घर जाकर बकरी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है तथा बकरी पालन में रखने वाली सावधानियां व प्रबन्धन से सम्बन्धित बकरी पालक को जानकारी देती है। बकरी पालकों का मानना है कि पशुसखी के ग्राम में होने से बकरियों मे समयानुसार डीवर्मिंग टीकाकरण हो रहा है जिससे बकरियों की मृत्यु दर में कमी आ रही है तथा बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है।

उपलब्धियाँ

- सिरोही नस्ल का बीजू बकरा ग्राम स्तर पर उपलब्ध हुआ।
- बकरियों की नस्ल में सुधार हुआ।
- बकरी पालकों की आय मे वृद्धि हुई।
- बकरी पालक बकरी मे डीवर्मिंग टीकाकरण समय चक्र अपनाने लगे।
- बकरियों कि मृत्यु दर में कमी हुई।
- ग्राम स्तर पर प्राथमिक उपचार हेतु पशुसखी तैयार की गई।

स्वयं सहायता समूह फेडरेशन का संवर्धन एवं लघुवित्त कार्यक्रम का एकीकरण

Promotion of Self Help Group Federation and Consolidation of Micro Finance Programme

पृष्ठभूमि

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता जो कि महिला संगठन है और यह पिछले 3 वर्षो से महिला उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह गठन बैंक लोन, स्वरोजगार प्रशिक्षण व बाहरी संस्थाओं के साथ जुड़कर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता सोसायटी एक्ट 1758 में रजिस्ट्रेशन है। फेडरेशन के द्वारा 202 महिला स्वयं सहायता समूह गठन करके संचालित कर रही है। ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी, अजमेर के द्वारा गठित महिला फेडरेशन के वित्तीय सहयोग है। सर रतन टाटा ट्रस्ट बम्बई व सेक्टर फोर माईक्रो फाईन्स - जयपुर के मार्गदर्शन व तकनीकि प्रशिक्षण से महिला फेडरेशन का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता अजमेर दो पंचायत समितियों में कार्य कर रही है।

लक्ष्य

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फडरेशन)-दांता, अजमेर का संचालन का मुख्य लक्ष्य है जो महिलाऐ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से जुडी है। और समुदाय में उनकी पहचान नही हैं। उन महिलाओ को स्वयं सहायता समूहों से जोडकर बचत करवाना, क्षमतावर्धन करके आत्मनिर्भर बनाकर उनमें आत्मविश्वास आ सके और महिलाओं की परिवार व समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और अपने परिवार और समाज का विकास कर सकें।

गतिविधियां

उन्नत खेती (Advance Farming)

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता से जुड़े समूहों के सदस्यों को आजीविका वर्धन करने के लिए चार गांवों में 100 महिला किसानों के साथ रबी में गेहूं , जो, चने, की फसल के साथ उन्नत तरीकों से खेती करने के लिए फेडरेशन ने कार्य किया था। महिलाओं के साथ फेडरेशन निरन्तर खेती पर कार्य करके महिलाओं के साथ समूह संचालन के साथ आजीविका के लिए तकनीकि कार्य करने से महिलाओं की रूचि बढ़ी है और अब उनमें आत्म विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि हम भी इस संगठन के माध्यम से सक्षम हो सकते है।

समूहो का स्वयं मूल्यांकन (Self Grading)

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, के अन्तर्गत संचालित 202 महिला स्वयं सहायता समूहों की स्वयं मूल्यांकन किया जाना है जिससे स्वयं की स्थिति का आंकलन महिलाओं को समझ में आसानी से आ सके और कमजोर पहलुओं पर सुधार करने के लिए क्लस्टर व फेडरेशन मदद ली जा सके। स्वयं मूल्यांकन

करने के लिए समूह, क्लस्टर व फेडरेशन के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार से 2013-14 में 125 समूहों का स्वयं मूल्यांकन किया गया है।

बैंक लोन

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, अजमेर द्वारा एक वर्ष में जिन समूहों को बैंक लोन की आवश्यकता पडी उनको लोन दिलवाया है। इससे समूह के सदस्य अपनी-अपनी आजीविका वर्धन के लिए बैंक लोन राशि का उपयोग करके लोन का समय पर भुगतान कर और समूह सदस्य अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए बैंक लोन समूह सदस्यों को दिया जाता है।

समूह ऑडिट

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, अजमेर के द्वारा 202 महिला स्वयं सहायता समूहों की वित्तिय स्थिति का आंकलन करने के लिए फेडरेशन ने एक ऑडिट टीम तैयार की है। फेडरेशन से जुड़े सभी समूहों की वर्ष में एक बार समूह ऑडिट की जाती है। सभी समूहों की ऑडिट की गई है और ऑडिट के दौरान आई कमियों को अंकित करके वार्षिक कार्य योजना में डालकर उन्हें दूर करने के लिए मुंशी प्रशिक्षण इत्यादि भी दिये गये है।

आजीविका गतिविधि प्रशिक्षण

ग्रामीण महिला विकास संस्थान के द्वारा फेडरेशन के 6 गांवों में 60 महिलाओं को नि:शुल्क 6 माह सिलाई प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला को 6 माह प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सिलाई मशीन व प्रमाण पत्र भी दिया गया। सिलाई प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं रोजाना 150-250 तक कमाने लगी है। इस प्रकार से फेडरेशन से जुड़ी 60 महिलाओं को स्थाई आजीविकावर्धन का रोजगार मिल गया है।

फेडरेशन आम सभा का आयोजन

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी अजमेर ग्रामीण महिला जाग्रति समिति(फेडरेशन)-दांता, अजमेर द्वारा 25 मार्च 2014 को फेडरेशन आम सभा का आयोजन किया गया था। इस आम सभा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था कि महिला फेडरेशन को तीन वर्ष हो गये हैं। फेडरेशन में नियुक्त पदाधिकारी बदलाव किया जाना है और नये पदाधिकारियों का चुनाव किया जाना है। इस आम सभा में प्रत्येक समूह से दो-दो सदस्य आये थे। इस सभा में सभी की सहमति से अध्यक्ष नया चुना और सचिव और कोषाध्यक्ष का बदलाव नहीं किया था। उसके पश्चात फेडरेशन की एक वर्ष की प्रगति पर चर्चा की है और आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर विचार विर्मश किया गया है।

फेडरेशन और राजस्थान आजीविका विकास परिषद (RGVAP) के मध्य MOU

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता और राजस्थान आजीविका विकास परिषद के मध्य एक MOU हुआ है। जिसमें फेडरेशन से सभी 202 समूहों को क्रॉप्ट किया गया है और फेडरेशन RGVAP को CRPS और प्रशिक्षण सेवाएं अपने क्षेत्र में देना है और NRLM फेडरेशन के प्रत्येक समूह को 125000/- रुपये

आर्थिक सहायता के रूप में देगा ताकि समूह सदस्य अपनी आजीविका को और मजबूत करके आत्मनिर्भर बने और गरीबी रेखा से ऊपर आये।

जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
Risk Mitigation Project (RMP)

पृष्ठभूमि

सर टाटा ट्रस्ट बम्बई के वित्तिय सहयोग से और सेन्टर फॉर माईक्रोफाइन्स जयपुर के मार्गदर्शन में व ग्रामीण महिला विकास संस्थान- बूबानी, अजमेर द्वारा अजमेर जिले की भिनाय, श्रीनगर व सिलोरा पंचायत समिति में जोखिम न्यूनिकरण परियोजना पिछले तीन वर्षों से संचालित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़े गरीब व उपस्थित लोगों तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाना और उनका और उनके परिवार की जोखिम कम करना है जिसमें सदस्यों को जीवन बीमा से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण जानकारी देकर प्रेरित करना है। संस्थान ने एक वर्ष में कई लोगों को जीवन बीमा से जोड़ा है।

उद्देश्य

इस परियोजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का जोखिम कम करना और सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

गतिविधियां

- **समूह बैठकों में चर्चा**- जोखिम न्यूनीकरण परियोजना महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए संचालित है तो सबसे अच्छा माध्यम परियोजना का सदस्य तक पहुंचाने का समूह मासिक बैठक है। समूह मासिक बैठकों में बीमा समन्वयक जा कर सदस्यों को परियोजना से जुड़ने पर चर्चा की जाती है।

- **जानकारी (जागरूकता) शिविर आयोजन**- संस्थान द्वारा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना का लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले उसके लिए गांव स्तर पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन करती है। जहां पर लोगों को बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ने की पात्रता व सम्बन्धित विभाग की भी एक दिवसीय शिविर में जानकारी देकर ग्रामीण व गरीब लोगों को शिविरों के माध्यम से जागरूक करना।

- **प्रशिक्षण**- संस्थान द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बीमा के लिए प्रशिक्षण बीमा समन्वयक व बीमा कम्पनी के अधिकारियों के माध्यम से दिया जाता है और यह प्रशिक्षण क्लस्टर स्तर देते है ताकि एक-दूसरे सदस्य अपने अनुभव व समस्याएं भी बताते हैं।

- **नुक्कड़ नाटक**- संस्थान के पास एक नुक्कड़ नाटक टीम है जो लोगों को नाटक के माध्यम से संदेश देने का कार्य करती है। जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के लिए श्रीनगर, सिलोरा व भिनाय पंचायत समिति के गांवों

में जा कर बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ाव के सन्देश देती है। इस वर्ष 50 गांवों में इस टीम ने बीमा से जुड़ने के लिए गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक किया है।

- **सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ाव**- संस्थान द्वारा बीमा समन्वयक ग्राम पंचायत में जाकर जो समूह सदस्य इन योजनाओं से जुड़ने की पात्रता रखते है उनकी सूची ग्राम पंचायत को देकर उनके फार्म भरवाकर पंचायत समिति तक भेजे जाते है। बीमा समन्वयक निरन्तर ग्राम पंचायत के सम्पर्क में रहता है। किसी प्रकार की समस्या आने पर शीघ्र समाधान किया जाता है। समूह सदस्यों के साथ-साथ अन्य सदस्यों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने में संस्थान निरन्तर कार्य करती रहती है।

परियोजना का प्रभाव- ग्रामीण महिला विकास संस्थान - बूबानी अजमेर द्वारा संचालित जोखिम न्यूनिकरण परियोजना का विशेषतौर से समूह के सदस्यों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोगों को इस परियोजना से संचालित गतिविधियों व प्रशासन से बात करने का आसान मौका मिल जाता है। इसलिए गरीब समुदाय व जिनकों सही प्रकार से योजना से जुड़ना है। उनकों जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है जिससे समूह सदस्यों को बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ पाने के लिए यह परियोजना निरन्तर संचालित की जाये।

उपलब्धियाँ

जोखिम न्यूनिकरण परियोजना की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं -

- लोगों को बीमा का सही अर्थ समझ में आने लगा है।
- सामाजिक सुरक्षा योजना का जमीनीस्तर तक पहुंचना।
- लघु बीमा से जुड़कर सदस्य बचत के साथ बीमित भी हो रहे।
- सामाजिक सुरक्षा योजना की समझ विकसित हो रही है।
- सरकारी अन्य योजना की जानकारी समुदाय स्तर पर भी मिलने लगी है।
- ग्रामीण समुदाय को निरन्तर बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान इस परियोजना का रहा है।

प्रारम्भिक साक्षरता कार्यक्रम
(EARLY LITERACY PROGRAMME)

पृष्ठभूमि

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी के द्वारा और ELP के मार्गदर्शन से महिलाओं के शिक्षा के लिए सिलोरा पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों (थल व रलावता) के दो गांवों में सिणगारा व रलावता में तीन महिला पाठशाला की शुरूआत क्लस्टर बैठकों में चर्चा करके शुरू करने का निर्णय लिया गया। माह दिसम्बर 2013 में क्लस्टर व एस.एच.जी. के साथ बैठकों में शिक्षा के महत्व पर बातचीत की गई जिसमें महिलाओं ने वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व को समझा व महिला शिक्षा पाठशाला में नामांकन करवाने का निर्णय लिया। पाठशाला शुरू करने से पूर्व गांव की कुल आबादी का 10 प्रतिशत ग्राम सर्वे करने पर भी बातचीत की गई। माह

दिसम्बर 2013 में जिन गांवों में महिला शिक्षा पाठशाला शुरू करनी है उन दो गांवों (सिणगारा व रलावता) में सर्वे कार्य शुरू करके दिसम्बर के अन्त तक पूरा किया गया। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य व्यस्क औरतों में जो GMVS द्वारा बनाई व अवलोकन की गई SHG के सदस्य है उनमे अरली लिटरेसी प्रोजेक्ट की भागीदारी व हस्तक्षेप को बढ़ाना है जिससे वह कार्यात्मक रूप से साक्षर हो सके। यह प्रोजेक्ट दो अवस्था व स्थिति में तैयार किया गया है। पहला दिसम्बर 2013 से मई 2014 व दूसरा जून 2014 से नवम्बर 2014 तक का लक्ष्य है।

उद्देश्य

- SHG की क्षमता को सुधारने के लिए कार्यात्मक साक्षरता को विकसित करना।
- SHG की महिलाओं में सशक्तिकरण और आत्मविश्वास पैदा करना।
- गांवों में होने वाली विकासात्मक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना।

रणनीति

- SHG से जुड़ी महिलाओं में साक्षरता के माहौल को प्रभावित करना।
- महिलाओं को पढ़ने-लिखने में आने वाली समस्याओं से अवगत करवाना।
- समुदाय(SHG महिला कलस्टर व SHG) के साथ बैठकें करना।
- समय, स्थान और अध्यापिकाओं का चयन करना।

गतिविधियां

महिलाओं और अध्यापिका का चयन प्रक्रिया- SHG महिलाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापिका के चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए यह शर्त रखी कि महिला स्थानीय व 10वीं से 12वीं तक पढ़ी-लिखी हो व महिला अध्यापिका ईमानदार, सेवाभावी, समय की पाबन्द, कर्तव्यनिष्ठ, और मासिक बैठकों व समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने वाली हो। उपरोक्त नियमों के अनुसार उन सभी महिलाओं व समुदाय की सर्वसहमति से अध्यापिका का चयन किया गया।

पाठशाला संचालन स्थान व समय का चयन- सभी महिलाओं की सर्वसहमति से समय व स्थान का चयन किया गया।

अध्यापिका प्रशिक्षण- माह दिसम्बर 2013 में अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण शिक्षण की प्रक्रिया को समझाने के लिए व ELP रिर्सोस किट के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

महिला शिक्षा पाठशाला की शुरूआत- सिलोरा पंचायत समिति के 2 गांव रलावता व सिणगारा में माह जनवरी 2014 में 3 महिला पाठशालाओं की शुरूआत की गई।

ELP स्कूल का भम्रण- अध्यापिकाओं व GMVS के कार्यकर्ताओं द्वारा ELP द्वारा संचालित बाल सहयोग केन्द्र कल्याणीपुरा में भ्रमण करवाया गया ताकि अध्यापिकाओं की समझ को और विकसित किया जा सके।

परियोजना के शुरूआत से पहले की स्थिति- परियोजना के शुरूआत से पहले महिलाओं को अक्षर ज्ञान भी नहीं था और न ही उन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण करने के बारे में सोचा था। वहां की महिलाएं अधिकतर दूसरे पढ़े-

लिखे लोगों पर ही निर्भर रहती थी।

परियोजना की वतर्मान स्थिति- महिलाएं अब धीरे-धीरे पढ़ने-लिखने लगी है व उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्हें अपने आप पर यह विश्वास हो गया कि अब हम पढ़-लिख सकते है।

अवलोकन- इन पाठशालाओं का समय-समय पर GMVS व OELP द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन के समय अवलोकनकर्ताओं ने देखा कि महिलाएं पढ़ने के प्रति रूचि लेने लगी है।

अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव- महिलाओं को नियमित रूप से आने के लिए घर-घर सम्पर्क करके प्रेरित करे। शिक्षक को महिलाओं के साथ रोचक गतिविधियां करवानी चाहिए जिससे महिलाएं बोरियत महसूस नहीं करे। वर्ण अक्षर की पहचान हेतु फ्लेश कार्ड का उपयोग करना चाहिए, आदि सुझाव अवलोकनकर्ताओं द्वारा दिये गये।

महिला स्वयं सहायता समूह गठन कार्यक्रम

(Woman Self Help Group Formation Programme)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जयपुर के वित्तिय सहयोग से और ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी अजमेर के द्वारा अजमेर जिले के चार पंचायत समिति श्रीनगर, सिलोरा, पीसांगन व भिनाय के लगभग 60 गांवों में 300 नये समूहों का गठन किया गया है। नाबार्ड के वित्तिय सहयोग से 300 महिला समूहों का गठन कर परियोजना वर्तमान में संचालित की जा रही है। परियोजना का मुख्य उद्धेश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन तथा रोजगार से वंचित समुदाय की महिलाएं जो असंगठित है उनको महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़कर संगठित करना और उनको बचत करने की आदत डालकर आर्थिक रूप से सशक्त करना है।

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत SHGs	उपलब्धि
1	2006	50	50
2	2010	200	200
3	2013	300	300

संस्थान ने 300 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दिया है। 300 स्वयं सहायता समूह बनाने की स्वीकृति जनवरी, 2013 में मिली जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के तहत महिलाओं की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

उद्देश्य

- समूहों का क्षमता वर्द्धन करना ताकि वह अपना विकास कर सके तथा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें।

- प्राकृतिक संसाधन से संबंधित गतिविधियों द्वारा महिलाओं की आमदनी का स्तर बढ़ाना जिससे उन्हें व्यक्तिगत एवं सामूहिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना।
- महिलाओं की ग्राम पंचायत एवं सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना।
- परिवार एवं समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- महिलाओं के समूहों को संगठित करने का प्रयास करना एवं महिला मंच का गठन करना।
- महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनके बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना।

रणनीति

- गांव का चयन व समान आर्थिक स्तर पर महिलाओं का चयन।
- मासिक बैठकों का आयोजन व बचत के लिए प्रोत्साहन।
- स्वयं सहायता समूह का दस्तावेजीकरण।
- विभिन्न योजनाओं के जुड़ाव हेतु प्रेरित करना।
- क्षमतावर्धन हेतु लघु प्रशिक्षण।
- बैंक जुड़ाव व ऋण उपलब्ध करवाना।

उपलब्धियाँ

- समूह का गठन।
- बैंक जुड़ाव (बचत खाता + SHG लोन उपलब्ध)।
- महिलाओं की समूह के प्रति समझ विकसित करना।
- साहुकार से छुटकारा दिलाना।
- मासिक बचत की आदत विकसित करना।
- आपसी व बैंक लेन-देन में समझ वृद्धि करना।
- आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना।
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव।

गतिविधियाँ

समूह गठन- नाबार्ड के वित्तिय सहयोग से और ग्रामीण महिला विकास संस्थान के द्वारा 300 समूह का गठन किया जा चुका है। यह समूह श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय व पीसांगन पंचायत समिति में गठन किये गये।

समूह सदस्य बचत खाता- नाबार्ड के वित्तिय सहयोग से गठित 300 समूह के सदस्यों के बचत खाते खुलवाने थे जिसमें 1300 सदस्यों के व्यक्तिगत बचत खाते क्षेत्रीय बैंको में खुलवाये जा चुके है।

बीमा- संस्थान द्वारा 300 समूह के सदस्यों का जीवन बीमा भी करवाने के लिए LIC, HDFC और National Insurance Company के साथ मिलकर समूह सदस्यों का जीवन बीमा करवा रही है।

प्रशिक्षण- संस्थान द्वारा गठित 300 स्वयं सहायता समूहों को नेतृत्व विकास व क्षमतावर्धन को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण देकर समूह के सदस्यों की क्षमता वृद्धि हुई है और बैंक लोन, आन्तरिक लोन, अन्य गतिविधियों में सदस्य रूचि लेने लगे है। आगामी समय में इस समूह के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
(Financial Litercy Programme)

पृष्ठभूमि- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान् बूबानी के द्वारा वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत पंचायत समिति श्रीनगर, सिलोरा, पीसांगन, भिनाय के 50 गांवों में वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया।

उद्देश्य- वित्तीय समावेशन का गरीबों को बैंक से जोड़कर उन्हें गरीबी के अभिशाप से मुक्त कराना है। वित्तीय साक्षरता एवं सुलभ उपलब्धता के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुविधा जनक बनाना था। इस कार्यक्रम का प्रयोजन आम आदमी को जानकारी प्रदान कराना है ताकि वित्तीय समावेशन के तहत समाज के वंचित असहाय गरीब और कमजोर लोगों को कम लागत एवं सही समय पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सके।

वित्तिय साक्षरता अभियान- वित्तिय साक्षरता अभियान के अन्तर्गत विभिन्न पंचायत समितियों के गांवों में जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणजनों को वित्तीय साक्षरता के लिए जागरूकता रथ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक एवं पपेट शो के माध्यम से लोगों को वित्तीय सेवाओं की जानकारियां दी जिसमें गैर जरूरी (फालतू खर्चे ना करे) जैसे -

- अपना समय उत्पादक कार्यो (कमाने में लगाएं)
- छोटी छोटी बचत से बड़ी बचत होती है।
- बचत का पैसा बैंक में रखे तथा उस पर ब्याज कमाये।
- बचत के पैसे को लागत (धन्धे) में लगाएं और पैसे कमाये।
- शून्य बैलेंस में खाता खुलवाने, स्वयं सहायता समूह क्या है जानकारी दी।
- किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, संयुक्त देयता समूह
- बीमा के फायदे के बारे में बताया।

शून्य बैलेंस में खाता खोलना- परियोजना क्षेत्र के गांवों में क्षेत्रीय बैंकों के साथ सम्पर्क स्थापित कर गरीब लोगों को बैंकों से जोड़ा गया व अभियान के तहत 1250 बचत खाते खुलवाये गये।

शिक्षा कार्यक्रम - राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
(National Child Labour Project (NCLP)

1. पृष्ठभूमि

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से गठित बाल श्रमिक परियोजना अजमेर के मार्गदर्शन में ग्रामीण महिला विकास संस्थान पिछले 14 वर्षो से बाल श्रम उन्मूलन हेतु बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन कर रही है। वर्तमान में संस्थान द्वारा तीन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय संचालित है। इसका मुख्य कारण यह है कि

अजमेर जिले की श्रीनगर पं. सं. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछडा हुआ है। इसलिए अभिभावक बच्चो को विद्यालय न भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढाबों किशनगढ के आम पास के क्षेत्रों मे संचालित पावरलूम, ईंट भट्टों व खानों में पत्थर तुडाई में काम करने भेज देते है। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें इन उद्योगों से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक हो जाता है।

अत: आवश्यक ऐसे बच्चों को वहॉ से हटाकर इन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों मे प्रवेश दिलाकर उनकी उम्र व स्तर के अनुसार आगामी तीन वर्षों में प्रांरम्भिक शिक्षा पूर्ण कराते हुए उच्च कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड रही है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से उनके कौशल का विकास किया जाता है।

2. बालश्रम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

1. बच्चें राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, उनका अधिकार शिक्षा प्राप्ति है न कि आजीविका कमाना।
2. बालश्रम की समस्या देश के समक्ष कठिन चुनौती है।
3. देश में वयस्क बेरोजगारो की संस्था एवं कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या लगभग समान है।
4. बालश्रम के बुरे नतीजों के प्रति माता-पिता की अज्ञानता।
5. संविधान एवं कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालको से श्रम कराने पर ''बालश्रम अधिनयम 1986'' के अनुसार कठोर सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
6. अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा दाव पर उत्पादों के नियति में कठिनाई।
7. बालश्रम के परिणमस्वरूप वयस्क बेरोजगारी, अशिक्षा और निर्धनता का घातक दुष्चक्र, राष्ट्र की प्रगति पर विपरीत प्रभाव।

3. शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव- संस्थान द्वारा इन बच्चों को विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों मे तीन वर्षों तक नियमित अध्ययन करवाकर आगामी वर्ष में इन बच्चों के साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरा ध्यान देकर इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड दिया जाता है। साथ इन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों, प्रशासन एवं परियोजना स्टाफद्वारा निरन्तर फॉलोअप किया जाता है जिसके तहत प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से सम्पर्क कर उसकी प्रगति से उसको अवगत कराना एवं छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति हेतु चर्चा की जाती है। साथ ही सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों की गतिविधियों पर अध्यापको की सलाह ली जाती है एवं उपस्थिति व प्रगति का अवलोकन भी किया जाता है। संस्थान द्वारा 1मई 2010 से संचालित तीन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन कर विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को उच्च शिक्षा अध्ययनरत हेतु शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जाता है, जिसकी सारणी इस प्रकार से है:-

क्र. सं.	संचालित विद्यालय	SC			ST			OBC			General			TOTAL		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	मुहामी	6	–	6	–	–	–	21	23	44	–	–	–	27	23	50
2.	नौलखा	3	–	3	–	–	–	17	30	47	–	–	–	20	30	50
3.	बुबानी	1	6	7	–	–	–	15	28	43	–	–	–	16	34	50
	योग	10	6	16	–	–	–	53	81	134	–	–	–	63	87	150

4. गतिविधियाँ

व्यावसायिक शिक्षा, स्टाईफण्ड, स्वास्थय परीक्षण, मासिक मूल्याकंन, बालश्रम विरोधी रैलियाँ, मासिक अभिभावक बैठक, प्रतिदिन पोषाहार, जन श्री बीमा योजना से जुडाव, राष्ट्रीय पर्व व जयन्तियों का आयोजन, खेलकूद, दानदाताओ का योगदान।

(1) व्यावसायिक शिक्षा- बालश्रमिक विद्यालयों मे अध्ययन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें बच्चों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक कर प्रशिक्षण अध्यापकों के माध्यम से मुख्यत: सिलाई, कढाई, कुर्सी बुनाई, चारपाई, मिट्टी, व लकडी के खिलौने, चाबी के छल्ले, बाँस की टोकरियाँ, पंक्चर बनाना, ऊनी धागों से बान्दरवाल, स्वेटर, टोपी, लास्टर ऑफपेरिस के खिलौने, हाथी, ऊँट, तोते, भगवान की मूर्तियाँ, लकडी छोटे छोटे चम्मचों की फेन्सी आईटम एवं सिलींग फैन व टेबुलफैन की रिपेयरिंग व इन्हें जलने नये तरीके बाँधना आदि का रोजगाारन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे बच्चें वयस्क होने पर अपनी आजीविका अपनाते हुए अपने जीवन में सक्षम बन सकें।

(2) स्वास्थ्य परीक्षण- बालश्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का प्रतिमाह नियमित रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्र से ए.एन.एम. या सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसके अन्तर्गत बच्चों का वज़न, ऊँचाइ, खून की जाँच, आँखों की जाँच, विटामिन-ए का घोल, सर्दी जुकाम, बुखार, सिरदर्द, फोड़े-फुन्सी आदि की जाँच करके उन्हें दवाइयाँ देकर स्वस्थ बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किए जाते है।

(3) मासिक अभिभावक बैठक- विद्यालय प्रांगण में प्रतिमाह अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा दिलवाने तथा जोखिमपूर्ण कार्य करने से रोकने की जानकारी देते हुए उन्हें बालश्रम कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से अवगत भी कराया जाता है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जोखिमपूर्ण कार्यों से पृथक कर शिक्षा की ओर प्रेरित करना तथा यह जानकारी देना कि जोखिमपूर्ण कार्य करवाने से मालिक को 20 हजार रूपये जुर्माना या 5 वर्ष का कठोर कारावास अथवा दोनों हो सकते है।

(4) नियमित निरीक्षण- विद्यालयों का समय समय पर परियोजना निदेशक, परियोजना फील्ड ऑफिसर, संस्थान प्रमुख गठित शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सरपंच, ग्रामीणों के साथ साथ अन्य पंचायत समिति स्तर

एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारीयों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषाहार, अनुशासन एवं मुख्य अध्यापकों के शिक्षण कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

(5) मासिक मूल्यांकन- बालश्रमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर हर माह मूल्यांकन किया जाता है जिसमे पढाई के प्रति कमजोर बच्चों के शिक्षा के स्तर मे सुधार किया जाता है साथ ही टी.एल. एम. सामग्री का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को 3 वर्ष में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करवाकर छठी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडकर उनके जीवन को घनघोर अंधेरो से बाहर प्रकाशमान किया जाता है।

(6) प्रतिदिन पोषाहार- बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बच्चों को मिड डे मिल योजना के तहत साप्ताहिक मेन्यू के आधार पर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है, जिससे उनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके एवं पारिवारिक गरीबी के चलते कुपोषण के शिकार होने से बचाया जा सके।

(7) जन श्री बीमा योजना से जुडाव- संस्थान द्वारा जन श्री बीमा योजना के अन्तगर्त विद्यालयों मे अध्ययनरत समस्त बाल श्रमिक बच्चों का बीमा करवाया जाता है। इसमे 100 रूपये प्रतिवर्ष प्रतिबालक प्रीमियम देय है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही इन बच्चों के माता-पिता का भारतीय जीवन बीमा निगम के अन्तगर्त समूह बीमा करवाया जाता है जिससे किसी के भी साथ अनहोनी घटना होने पर उन्हें आर्थिक लाभ दिया जा सकें। इससे बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी सुरक्षित है।

(8) स्टाईफण्ड- अध्ययनरत बालश्रमिक विद्यालयों के समस्त बच्चों को परियोजना द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 150 रूपये वजीफा (स्टाईफण्ड) के रूप में बैंक या पोस्ट ऑफिस मे उन बच्चों के नाम का खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। इस प्रकार परियोजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित के साथ साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता मिलेगी।

(9) राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ- बालश्रमिक विद्यालयों मे राष्ट्रीय पर्वों के साथ साथ महापुरूषों की जयन्तियाँ, बाल सप्ताह आदि मनाया जाता है। इसके माध्यम से महापुरूषों के जीवन से बच्चों को अवगत कराया जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों आगे बढने हेतु प्रेरित किया जाता है। इससे वह अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें।

(10) बाल श्रम विरोधी रैलियाँ- बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों द्वारा ग्राम में समय समय पर बाल श्रम विरोधी रैलियाँ, पल्स पोलियो रैली, पर्यावरण संरक्षण रैली, आयोडीन नमक सम्बन्धी रैलियाँ निकाली जाती है जिससे सभी ग्रामीणों में शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढायी जाती है जिसमें संस्थान व विद्यालय स्टाफ तथा ग्रामवासियों का पूर्ण योगदान रहता है।

(11) खेलकूद गतिविधियाँ- बालश्रमिक विद्यालयों मे प्रति शनिवार खाने के बाद खेलकूद गतिविधियों करवायी जाती है। सभी विद्यालयों में वर्ष में दो बार बाल दिवस व राजस्थान दिवस के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिसमें तीन विद्यालयों के बच्चों को निश्चित स्थान पर एकत्रित कर उन

बच्चों के साथ चम्मच दौड, बोरी दौड, कुर्सी दौड, जलेबी दौड, लडडू दौड, मटका दौड, रूमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लम्बी कूद, कबड्डी, क्रिकेट, रस्सा खींच, खो-खो, फुटबाल आदि प्रतियोगिताए होती हैं। इसके साथ साथ प्रतिवर्ष बाल सप्ताह कार्यक्रम समरकैम्प आदि विद्यालय में मनाया जाते है। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को उचित ईनाम भी दिया जाता है।

(12) **दानदाताओं का योगदान**- विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय नौलखा, मुहामी, बुबानी में चल रहे शिक्षा कार्यक्रम में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस स्थिति को ध्यान मे रखते हुए संस्था के सचिव, शिक्षा समन्वयक व प्रधानाध्यापक के अथक प्रयासों से विद्यालय मे अध्ययनरत बच्चों के लिए समय समय पर दानदाताओं के कर कमलों से स्वेटर, ड्रेस, दरियाँ आदि की व्यवस्था करवायी गयी जिसमें नौलखा, मुहामी, बुबानी विद्यालय के बच्चों के लिए ''माननीय उतरादेवी चेरिटेबल ट्रस्ट एण्ड फाउण्डेशन - पुणे(उतराहाउस) द्वारा सुबह नाश्ता एवं बिस्कुट का पैकेट प्रतिदिन प्रति छात्र, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, स्वेटर, टाई, बेल्ट, ब्लैक बोर्ड, अलमारी, पोषाहार के बर्तन, खेल सामग्री, बडी दरीयाँ, आदि वितरित की गयी जिससें बच्चों मे शिक्षण मे बहुत बडा योगदान रहा। बच्चों को आर्थिक तंगी से राहत मिली।

(13) **उपलब्धियाँ**-

- बाल श्रम की संख्या मे कमी हो।
- बच्चों व अभिभावकों मे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढाना।
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाना।
- परियोजना से संचालित विद्यालयो मे अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के अलावा आजीविकावर्धन हेतु प्रशिक्षण मे निपुण होना।

(14) **भागीदारी**-

- बाल श्रमिक परियोजना फील्ड अधिकारियों द्वारा।
- संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों के समस्त स्टाफगणों द्वारा
- संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों के समस्त बच्चों द्वारा।
- बच्चों के माता-पिता व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा।
- ग्रामवासियों व गणमान्य लोगो द्वारा।

(15) **बाल श्रमिक के प्रति संस्थान की भूमिका**- संस्थान का मुख्य उद्देश्य बालकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। लगभग सभी संस्थाए बालकों के काम करने को शोषण के रूप में समझती है तथा बाल मजदूरी के प्रति संवेदनशील है। संस्थान अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बालश्रम प्रथा तथा बाल श्रमिकों के कार्य करने के खिलाफ समाज में चेतना पैदा कर रही है। साथ ही बाल श्रमिक बच्चों के माता-पिता से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे सामूहिक रूप से इस समस्या की गम्भीरता के प्रति जागरूकता कर बच्चों को स्कूल मे भेजने के लिए प्रेरित कर रही है जिससे हर बच्चा शिक्षित है।

GMVS

लक्षित हस्तक्षेप परियोजना (माइग्रेट टी. आई.)

Targeted Intervention Migrant Programme Chittorgarh (Raj)

पृष्ठभूमि:- ग्रामीण महिला विकास संस्थान चितौड़गढ़ जिले में 01 मार्च 2014 से लक्षित हस्तक्षेप माईग्रेन्ट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रौल सोसायटी, जयपुर (राज.) द्वारा पौषित है। संस्थान इस कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में बाहर से आये हुए पलायनकर्ता (माईग्रेन्ट) 10000 को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये किया जा रहा है। ये माईग्रेन्ट राजस्थान व राजस्थान के बाहर से आये हुए लोग है जो कि (बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखण्ड, पंजाब, कश्मीर एवं मध्य प्रदेश एवं नेपाल) से सम्बन्धित है।

उद्देश्य

- 10000 माईग्रेन्ट लोगों को रजिस्टर करना।
- इन सब लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- RTI/STI की जाँच व फोलोअप करवाना।
- सुरक्षित यौन व्यवहार के लिए प्रेरित करना।
- HIV / AIDS की जाँच करवाना। HIV / AIDS ग्रसित व्यक्तियों का पूर्णत: ईलाज व निगरानी करना।
- कार्यक्रम के द्वारा दवाईयां व कण्डोम उपलब्ध करवाना।
- ICTC / ART / TB / DOT से लिंक करवाना।

रणनीति

- महिला व पुरूष माईग्रेन्ट व्यक्तियों का व्यवहार परिवर्तन कर उनको सुरक्षित यौन व्यवहार की ओर अग्रसर करना।
- उनको कण्डोम उपयोग की महता को समझाना।
- समय-समय पर उनकी आवश्यकताओं को जानकर कार्यक्रम के तहत सेवाओं को अत्यधिक लोगों तक पहुंचाना।
- माईग्रेन्ट को सुरक्षित व जागरूक बनाना।

गतिविधियाँ

1. **रजिस्ट्रेशन:-** माईग्रेन्ट से अत्यधिक संख्या में पहुंच बनाना एवं उनके बारे में PL / ORW द्वारा पूर्ण जानकारी लेना।
2. **परामर्श:-** परामर्शकर्ता द्वारा माईग्रेन्ट को परामर्श करवाना व उनके उच्च जोखिम व्यवहार की जानकारी लेना उनको जोखिम के अनुसार संस्थान द्वारा सेवाएं प्रदान करवाना।
3. **रेफरल व लिंकेज:-** संस्थान द्वारा माईग्रेन्ट को DIC तक पहुंच बनाना। सभी लोगों को संस्थागत चिकित्सक द्वारा जाँच व फॉलोअप करवाना। ICTC / ART / TB / DOT की सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

4. **डेटा मूल्यांकन:**- सभी स्टाफद्वारा प्राप्त जानकारी का मूल्यांकन M&E व प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा समय-समय पर फिल्ड में निरीक्षण करना।

5. **निशुल्क शिविर:**- निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाना।

उपलब्धियाँ

- ✧ कार्यक्रम समन्वयक द्वारा चितौड़गढ़ जिले में चिकित्सकीय, सरकारी, गैर सरकारी CSR/HR फैक्ट्री यूनियन नेता द्वारा नेटवर्क बनाना।
- ✧ माईग्रेन्ट ने सुरक्षित यौन व्यवहार को समझा।
- ✧ माईग्रेन्ट की HIV/AIDS पर समझ बढ़ी।
- ✧ माईग्रेन्ट को HIV/AIDS की जाँच करवाने पर झिझक हटी।
- ✧ स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से RTI / STI निरक्षण व नियंत्रण करने में सुविधा।
- ✧ माईग्रेन्ट को कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान की।
- ✧ महिला माईग्रेन्ट का संस्थान से विशेष जुड़ाव व उनके अधिकारों की जानकारी दी।

सूक्ष्म उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (नाबार्ड)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जयपुर के वित्तीय सहयोग से सूक्ष्म उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिला विकास संस्थान ने अजमेर जिले की श्रीनगर, सिलोरा व भिनाय पंचायत समिति मे संचालित किया गया है। सूक्ष्म उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पापड़-मंगोड़ी, मसाला पिसाई, मोमबत्ती व अगरबत्ती एवं ज्वैलरी 13 दिवसीय प्रशिक्षण संचालित किये गये थे। यह प्रशिक्षण चार गाँवों मे आयोजित किये गये। पापड़-मंगोड़ी-सोलकला, मसाला पैकिंग-भिनाय, मोमबत्ती व अगरबत्ती-सराणा और ज्वैलरी-रलावता ग्राम में संचालित किये गये थे।

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	सहभागी संस्था	गाँव का नाम	पं. समिति का नाम	अवधि
1.	ज्वैलरी प्रशिक्षण	25	रलावता	सिलोरा	9 नवम्बर 2013 से 21 नवम्बर 2013 तक
2.	मोमबत्ती व अगरबत्ती प्रशिक्षण	25	सराणा	श्रीनगर	9 नवम्बर 2013 से 21 नवम्बर 2013 तक
3.	पापड़-मंगोड़ी	25	सोलखुर्द	भिनाय	3 दिसम्बर 2013 से 15 दिसम्बर 2013 तक
4.	मसाला पैकिंग	25	भिनाय	भिनाय	3 दिसम्बर 2013 से 15 दिसम्बर 2013 तक

उद्देश्य

संस्थान द्वारा सूक्ष्म उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आत्म स्वावलम्बी बनाना।

2. महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाकर आर्यवर्धण से जोडना।
3. गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करना व प्रयोग पर बल देना।
4. महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना तथा परिवार में कमाऊ सदस्य के रूप मे पहचान करना।
5. महिलाओं को बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना ताकि उनके विवेक में वृद्धि हो सके।
6. सेठ साहुकारों के कर्जों से मुक्ति दिलवाना।

प्रतियोगिता का चयन की रणनीति-

संस्थान द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से संचालित स्वयं सहायता समूह जो परिपक्व हो अर्थात वे बैंक से एक या दो बार से अधिक ऋण ले चुके हैं और सम्बद्ध व्यवसाय की मूलभूत जानकारी उन्हें हो। उनका चयन व्यवहार परीक्षण तथा साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया गया है।

गतिविधि- सूक्ष्म उद्यम विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम (M.E.D.P) के अन्तर्गत संस्थान द्वारा दो प्रकार से महिलाओ को प्रषिक्षण दिया गया था। पहला थ्योरी व प्रेक्टीकल पद्वति से प्रशिक्षण दिया गया था।

सिद्धान्त (थ्योरी)- सूक्ष्म उद्यम विकास प्रशिक्षण मे प्रशिक्षक ने महिलाओं को सामाग्री की गुणवत्ता, मूल्य, मात्रा, विक्रय मूल्य व बाजार के बारे मे जानकारी दी।

प्रायोगिक (प्रेक्टीकल)- सूक्ष्म उद्यम विकास प्रशिक्षण मे प्रशिक्षक ने महिलाओं को सम्बन्धित प्रशिक्षण ट्रेड के लिए जो सामाग्री बनाना है उसका महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया गया ताकि महिलाएं उसे सही प्रकार से बनाना सीख लें।

उपलब्धियाँ

1. महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ गईं।
2. आत्मनिर्भर बनने मे सहायक।
3. स्थानीय रोजगार मिल गया।
4. परिवार के अन्य सदस्यों को भी रोजगार मिला।
5. महिलाओं की अलग से पहचान बनी।

सहयोगी संस्थाएं

1. द् हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली
2. रूरल इण्डिया सपोर्टिंग ट्रस्ट, यू.एस.ए.
3. नाबार्ड, जयपुर
4. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
5. सेन्टर फॉर माइक्रोफाईनेन्स, जयपुर (राज.)
6. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर (राज.)
7. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई
8. भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर
9. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर (राज.)
10. अरावली, जयपुर (राज.)
11. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर केन्द्र (राज.)
12. जमशेद जी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई
13. द् गोट ट्रस्ट, लखनऊ
14. इब्तिदा, अलवर
15. क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अजमेर।
16. राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर (राज.)

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

ABRIDGED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

EXPENDITURE	AMOUNT (₹)	INCOME	AMOUNT (₹)
To Project Expenses	15,405,572	By Programme Balance	923,980
To Other Expenses	1,488,095	By Grant Received	15,626,941
To Grant pending Utilisation	295,273	By Grant Receivable	203,764
To Surplus	236,704	By Interest from Bank	74,059
		By Contribution & Donations	596,900
TOTAL	17425644	TOTAL	17425644

In terms of our Audit Report even date attached.

For **DSS & ASSOCIATES**
Chartered Accountants

(S.S. Verma)
Partner
Place: Jaipur
Dated:17.05.2014

For **GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN**

Secretary

ABRIDGED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2014

LIABILITIES	AMOUNT (₹)	ASSETS	AMOUNT (₹)
General Fund	743438	Fixed Assets	450848
Unsecured Loan	69150	Grant Receivable	203764
Grant Pending Utilisation	295273	Sundry Deposits	137347
Current Liabilities	74250	Cash in Hand	88715
		Cash at Bank	-301437
TOTAL	1182111	TOTAL	1182111

In terms of our Audit Report even date attached.

For **DSS & ASSOCIATES**
Chartered Accountants

(S.S. Verma)
Partner
Place: Jaipur
Dated:17.05.2014

For **GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN**

Secretary

प्रगति की ओर बढ़ते कदम

सेवा की ओर बढ़ते कदम ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

मुख्य कार्यालय
पटाखा फैक्ट्री के पास, राजा रेडी (सुमेर नगर)
मदनगंज–किशनगढ़ – 305 801
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
फ़ोन : +91–1463–245642
मोबाईल – +91–9672979032
ई–मेल– bubanigmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.org.in

पंजीयन कार्यालय
मु. पो. बूबानी
वाया–गगवाना – 305 023
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
मोबाईल – +91–9928170035
ई–मेल– gmvsajmer@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय
ई–6 पंचवटी
सामुदायिक केन्द्र के पास
चित्तौड़गढ़ – 312001
(राजस्थान) भारत
मोबाईल – +91–9672979107
ई–मेल– gmvschittorgarh@gmail.com

मुद्रक : प्रगति प्रिन्टर्स, अजमेर. मोबाइल : 9887072959